

SPBahraich के कुशल निर्देशन में, थाना जरवल रोड पुलिस द्वारा धारा 363/366/376 भादंवि0 व 3/4 पाँक्सो एक्ट से सम्बन्धित नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

■ किशोरी का अपहरणकर्ता गिरफ्तार

बहराइच। जरवलरोड थाना प्रभारी वृजराज प्रसाद ने बताया कि हसना धवरिया के भुंडेपुरवा निवासी सूरज पर किशोरी के अपहरण व पाँक्सो का मुकदमा दर्ज है। बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। टीम में उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव, सिपाही रामसागर वर्मा, व्यास मुनि वर्मा शामिल रहे। (संवाद)

प्रेस विज्ञापित

प्रेस विज्ञापित

थाना जरवल रोड जनपद बहराइच



नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने वाला 01 नफर अभियुक्त अन्तर्गत मु0अ0सं0 104/2024 धारा 363/366/376 भादंवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार थाना जरवल रोड बहराइच ।

दिनांक - 25.09.2024

थाना- जरवल रोड

विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री रामानन्द कुशवाहा व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कैसरगंज श्री अनिल कुमार सिंह के निर्देशन में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय जरवल रोड के कुशल नेतृत्व में 30नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह का0 रामसागर वर्मा,का0 व्यास मुनि वर्मा द्वारा मु0अ0सं0 104/2024 धारा 363/366/376 भादंवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज पुत्र शान्ति वर्मा निवासी भुण्डेपुरवा दा0 हसना धवरिया थाना जरवल रोड जनपद बहराइच को आज दिनांक 25.09.2024 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी आदेशो-निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुलिस सुरक्षा में भेजा गया ।

विवरण अभियुक्त:-

सूरज पुत्र शान्ति वर्मा निवासी भुण्डेपुरवा दा0 हसना धवरिया थाना जरवल रोड जनपद बहराइच ।

गिरफ्तारी टीम:-

30नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह का0 रामसागर वर्मा,का0 व्यास मुनि वर्मा थाना जरवल रोड जनपद बहराइच ।

फोटो

